416

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 18 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 27, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्रमांक 26 सन् 1976) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 42 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए 3-10-95-विक-पांच-(95), दिनांक 1 नवम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले में वन भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को बेदखल किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 224, इटारसी से निर्वाचित सदस्य डॉ. सीतासरन शर्मा को नवम्बर, 1997 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम कारीबराह, मगरेहटा एवं माल्हन में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम मइई, सुरखी, पोंडी एवं जुगिया काप में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम मुडेहरा के कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने,
(घ) दतला जलाशय की नहरों की मरम्मत कराये जाने,
(ङ.) अमेहटा जलाशय की नहरों की मरम्मत कराये जाने, तथा
(च) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विलायत कला को शासनाधीन किये जाने,

(2) श्री मथुरा प्रसाद पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम खोह में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम वहली में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम कुदरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(3) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -
(क) ग्राम डाला (सोनझर) में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम इटमा में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ग) शासकीय कन्या माध्यमिक शाला सरई का उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) सरगुजा जिले के ग्राम झरियाटोला में ट्यूबवेल लगाये जाने, एवं

(4) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, भोपाल एवं सीहोर स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय में एजेन्ट प्रथा चालू रखे जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री बी. आर. यादव, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ,,

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 38 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 1997-98 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,32, 36,37,39,41,42,43,44,45,51,53,54,55,56,57,58,60,64,65,67,68,69,72, 73,79,80 तथा 84 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ बयासी करोड़, छब्बीस लाख, चौवन हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

3 घन्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 1997 (क्रमांक 37 सन् 1997) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 नवम्बर, 1997

* मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.